न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 01/2021 (2021/33)

प्रार्थीपक्ष :–
सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना बोरानाडा तहसील बोरानाडा जोधपुर कमिश्नरेट।

बनाम

अप्रार्थीपक्ष :–
1. सूजाराम पुत्र गोपीराम, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम भेड़ , तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
2. रविशंकर पुत्र मूलचन्द, जाति विश्नोई, निवासी विनायकपुरा, भवाद, करवड, तहसील व जिला जोधपुर।
3. परसाराम पुत्र कालूराम, जाति विश्नोई, निवासी निवासी विनायकपुरा, भवाद, करवड, तहसील व जिला जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट पीएस बोरानाडा जोधपुर पश्चिम में जब्तशुदा डीजल का निस्तारण धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत।

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. श्री शेखर मेवाड़ा (अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 तक)

–: आदेश :– दिनांक :– 07.02.2022

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक/कोर्ट/डीएम/21/254 दिनांक 23.02.2021 की अनुपालना में इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/7 ई सी एक्ट पीएस बोरानाडा जोधपुर पश्चिम में जब्तशुदा डीजल का निस्तारण धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत करवाने हेतु इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई है। संक्षिप्त में इस्तगासा के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी बोरानाडा पश्चिम जोधपुर कमिश्नरेट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी परसाराम पुत्र कालूराम वगैरा के पेश हुआ जिसमें जाहिर किया कि दिनांक 02.01.2021 को एस0 ओ0 जी0 निरीक्षक श्री जब्बरसिंह मय जाब्ता को वैशाली नगर प्लॉट नं0 06 के सामने से तेल टैंकर रजि0 न0 आर जे 19 जी जी 5377 व पिकअप रजि0 न0 आर जे 19 जी जी [illegible] को [illegible] द्वारा टैंकर से पिकअप में डीजल भरते हुए दिखाई दिया तब उक्त [illegible] व वाहन मालिक/ड्राईवरों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

पुलिस थाना लेकर आये उक्त वाहन को चैक करने पर टैंकर के केबिन में एक मिनी मोटर पम्प सेट मय नोजल के लगा हुआ मिला तथा टैंकर के चारों कम्पार्टमेन्ट में कुल 17500 लीटर डीजल होने तथा पिकअप बॉडी पर तेल टंकी बनायी हुई तथा पिकअप में तेल भरने का पम्प मीटर मय नोजल लगा हुआ पाया। टैंकर व पिकअप के मालिक द्वारा दूसरे वाहनों में डीजल भरने, परिवहन व विक्रय बाबत् परमिट, लाईसेन्स व अनुज्ञा–पत्र नहीं होने से अप्रार्थी का कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दंण्डनीय अपराध होने से उक्त टैंकर मय डीजल व पिकअप जब्त किये तथा जब्त डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शेखर मेवाडा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 26.10.2021 को जवाब पेश किया गया। प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण अभिभाषक की बहस दिनांक 22.12.2021 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थीपक्ष अधिवक्ता ने लिखित जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि पत्रावली में अनुसंधान के दौरान उक्त तरल द्रव्य पदार्थ के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा रिजनल फोरेंसिक साईंस लेब्रोरेटरी, मण्डोर, जोधपुर से द्रव्य के डिजल होने या नही होने की रिपोर्ट तलब की गई जो थानाधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि ''the liquid sample contained in the packet marked ',' did not confirm the IS specification for diesel fuel (IS-1460) in respect of distillation characteristies.'' अतः उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जब्तसुदा तरल द्रव्य जिसे डीजल होने के सन्देह में जब्त किया गया है उक्त तरल द्रव्य डिजल के मानक पूरा नही करता है जिसके सम्बंध में कहा जा सकता है कि द्रव्य डिजल की श्रेणी में नही आता है। उक्त जब्त सुदा तरल द्रव्य के संबंध में प्रार्थी का प्रथम अवसर से कहना है कि उक्त तरल द्रव्य बायो–डिजल है और विधि अनुसार उसका क्रय किया गया है जिसके संबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा बायोडीजल के खरीद का बिल, ई–वे बिल व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। उक्त तरल द्रव्य जिसे प्रार्थी द्वारा बायोडिजल होना बताया जा रहा है जिसके खरीदने के संबंध में प्रकिया के बारे में थानाधिकारी से पुछा गया तो उसके संबंध में किसी भी ट्रान्सपोर्टर द्वारा अपने स्वयं के वाहनो के लिए बायोडीजल का खरी[illegible] सही है यदि इस संबंध में खरीददार द्वारा बायोडिजल [illegible] के निजी उपयोग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

लिए बायो डिजल की जरूरत होने व बेचान नही किये जाने के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया हुआ हो इस संबंध में अनुसंधान किये जाने का अवलोकन किया गया तो अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली पर बायोडीजल खरीद से पूर्व बायोडिजल विक्रेता को ऐसा शपथपत्र प्रस्तुत किया होने का तथ्य सामने आया है और इस संबंध में सरकार द्वारा अधिकृत बायोडीजल निर्माता व विक्रेता कोटयार्क इण्डस्ट्रीज के प्रबन्धक के बयान थानाधिकारी बोरानाड़ा द्वारा लेखबद्व किये गये है जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर है जिसके अनुसार यह स्पष्ट होता है कि बायोडिजल विधिक तौर पर खरीद किया गया है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि थानाधिकारी बोरानाडा द्वारा जो नमूना जांच के लिए भेजा गया उसका Flash point जांच रिपोर्ट में 162 डिग्री सेन्टिग्रेड व Ester Content की मात्रा 99.96 प्रतिशत तथा Density 15 डिग्री सेन्टिग्रेड पर 968.6 किलोग्राम प्रति वर्गमीटर आई है। जिससे यह स्पष्ट है कि यह पेट्रोलियम पदार्थ की ''C'' श्रेणी में भी नहीं आता है। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार ने बायोडीजल के भण्डारण के संबंध में अभिनिर्धारित किया है कि '' Biodiesel is methylester and made out of waste of edible, non edible oil (S) and organic material by the process of esterification and having a flash point of 145 degree centigrade. Methylester is not a petroleum and does not attract the provision of Petroleum Rules, 2002. अतः जब्तशुदा बायोडीजल पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू नहीं होता है। केन्द्र सरकार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप थोक उपभोक्ताओं को हाई स्पीड डीजल के मिश्रण के लिए जैव डीजल (बी–100) का निम्न को विक्रय किया जा सकता है।

1. रेलवे
2. राज्य परिवहन उपक्रम
3. थोक उपभोक्ता जिनकी आवश्यकता 12000 लीटर से कम नहीं होगी।

राजस्थान जैव ईधन नियम, 2019 के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत बायोडीजल विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा ही किसी ट्रांस्पोटर/ईंडस्ट्रीज/फ्लीट मालिक को भारतीय ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और विनिर्दिष्ट मिश्रण सीमाओं के अनुसरण में स्वयं के वाहनों/उपकरणों में उपभोग हेतु बायोडिजल (बी–100) का थोक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय किया जा सकता है। इस हेतु बायोडीजल विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित ट्रांस्पोटर/ईंडस्ट्रीज/फ्लीट मालिक से उसके द्वारा क्रय किये गये बायोडीजल का स्वयं के वाहनों/उपकरणों में उपभोग किये जाने एवं उसे पुर्नविक्रय नहीं किये जाने के संबंध में शपथ–पत्र लेना होगा।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि जब्तसुदा तरल द्रव्य बायोडिजल है या नहीं, इस संबंध में प्रार्थी थानाधिकारी बोरानाड़ा द्वारा जब्तशुदा डीजल का नमूना जांच हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग जयपुर भेजा गया। उक्त नमूने की रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना बोरानाडा द्वारा पेश की गई। बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग जयपुर से उक्त तरल द्रव्य के संबंध में आयी रिपोर्ट एवं ब्युरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड, 2005 नई दिल्ली द्वारा बायोडिजल के संबंध में जारी मानक के अनुसार उक्त नमूने के density, ester containt और flash point के आधार पर उक्त नमूना बायोडीजल होना पाया गया।

अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थी का खरीदशुदा बायोडीजल एक वर्ष से अधिक समय से थाने में पडा है और वर्तमान में न्यायालय के समक्ष आयी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जब्त किया गया तरल द्रव्य बायोडीजल है तथा प्रार्थी का जरिये बिल से विधि अनुसार खरीद किया हुआ है जिसे अनिश्चित समय तक थाने में पडा नही रखा जा सकता है जिसे रिपोर्ट आ जाने के बाद छोडा जाना न्यायोचित है जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2003 सी.आर.एल.आर. सुप्रीम कोर्ट 103 भी प्रस्तुत किया। एफ.एस.एल रिपोर्ट व बायोफ्युल प्राधिकरण जयपुर की रिपोर्ट के परिणाम को देखते हुए प्रथम दृष्ट्या मामले में जब्त तरल द्रव्य बायोडिजल है।

उक्त सम्बंध में थानाधिकारी बोरानाडा को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया गया जिसने बताया कि उनके द्वारा नकली डीजल होने के आशंका में पकडा गया था जिसके सम्बंध में भेजे गये नमुनो की रिपोर्ट पत्रावली पर आ गयी है जो न्यायालय के समक्ष है और अनुसंधान पुर्ण हो चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः अप्रार्थी की फर्म बालाजी ट्रान्स[illegible] से पंजीबद्ध है। जो फर्म माल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

परिवहन का कार्य करती है। जिस कारण उनके द्वारा स्वयं के वाहनों के निजी उपयोग हेतु बायोडीजल की खरीद करना बताया जो थानाधिकारी बोरानाड़ा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है। द्वितीयतः प्रार्थी थानाधिकारी बोरानाड़ा द्वारा जब्तशुदा डीजल का नमूना जांच हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग जयपुर भेजा गया। उक्त नमूने की रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना बोरानाडा द्वारा पेश की गई। बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग जयपुर से उक्त तरल द्रव्य के संबंध में आयी रिपोर्ट एवं ब्युरो ऑफ इंडियन स्टेण्डर्ड, 2005 नई दिल्ली द्वारा बायोडीजल के संबंध में जारी मानक के अनुसार उक्त नमूने के density, ester containt और flash point के आधार पर उक्त नमूना बायोडीजल प्रतीत होता है तथा बायोडीजल धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में सम्मिलित नहीं है तथा ऐसी स्थिति में जब्तसुदा माल को धारा 6 ए के तहत राज्यसात् करना न्यायहित में नहीं होगा। अतः जब्तसुदा वाहन टाटा एलपीटी टैंकर 2515 मैक 2005 दस चक्का तेल टैंकर जिसके रजि0 नम्बर आर जे 19 जी जी 5377 में जब्त 17500 लीटर बायोडीजल रिलीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना बोरानाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त बायोडीजल की किसी अन्य मामले में आवश्यकता नही होने पर प्रार्थी द्वारा मूल बिल प्रस्तुत करने पर लौटाया जावें। प्रकरण में जब्तशुदा दोनों वाहनों को पूर्व में ही जमानतनामा व सुपूर्दगीनामा पर रिलीज किया जा चुका है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 07.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested